पूर्णपीठ

एस.एस. संधावालिया, सी.जे., एस.सी. मितल और एस.एस. सोढ़ी, जे.जे. के समक्ष।

टीयूएल-पार मशीन एवं टूल कंपनी, फ़रीदाबाद,-याचिकाकर्ता।

बनाम

श्री जोगिंदर पाल, कर्मकार और अन्य, -प्रतिवादी।

1982 की सिविल रिट याचिका संख्या 4411।

13 अप्रैल 1983.

औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का XIV) (हरियाणा अधिनियम (1976 का 39) द्वारा संशोधित - धारा 7-ए(3)(एए) - भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 233 (2) - एक औद्योगिक के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न्यायाधिकरण - सात साल या उससे अधिक की स्थिति वाला वकील या वकील - क्या उच्च न्यायालय की सिफारिश के अभाव में नियुक्त होने के योग्य है - एक पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया गया अधिनिर्णय जो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है - ऐसा अधिनिर्णय किया - क्या वास्तव में यह दूषित है?

अभिनिर्णीत किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (हरियाणा राज्य में संशोधित) की धारा 7-ए(3)(एए) में प्रयुक्त भाषा से,यह स्पष्ट है कि विधायिका ने अभी भी न्यूनतम सीमा को बनाए रखा है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संवैधानिक रूप से उस व्यक्ति के बराबर होना चाहिए जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 द्वारा निर्धारित जिला न्यायाधीश का पद संभालने का हकदार है। . संशोधन को उसकी वास्तविक सेटिंग में देखते हुए, इसका उद्देश्य केवल केंद्रीय अधिनियम में निर्धारित जिला या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में तीन साल के अनुभव की न्यूनतम निर्धारित अवधि को समाप्त करना था। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा विधानमंडल उस व्यक्ति को थोड़ा पद छोड़ना चाहता था जो एक बार जिला या अतिरिक्त जिला

न्यायाधीश (अवधि की परवाह किए बिना) के पद पर था। साथ ही वह व्यक्ति जो सीधे तौर पर नियुक्ति के लिए पात्र था, उसे भी इसके चयन के दायरे में होना चाहिए। विधायी इतिहास की पृष्ठभूमि में स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि किए जाने वाले एकमात्र परिवर्तन का उद्देश्य अनुभव की तीन वर्ष की अवधि को समाप्त करना था, लेकिन जिला न्यायाधीश के कानूनी समकक्ष होने की बुनियादी आवश्यकता की मांग नहीं की गई थी, इसलिए इसे बदला जाए या इसमें छेड़छाड़ की जाए। दूसरे शब्दों में, संशोधन की योजना यह है कि जिन व्यक्तियों को सीधे जिला या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो वास्तव में इस तरह नियुक्त हुए हैं और जो पहले इस तरह नियुक्त हुए थे, वे नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। इसलिए, ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में सीधे नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति वह होना चाहिए जो जिला अपर जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सीधे समान रूप से पात्र हो। इसलिए, यहां सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को जिला या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकती है? यदि ऐसा हो सकता है, तो नियुक्त व्यक्ति को समान रूप से ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और इसके विपरीत यदि राज्य सरकार उन्हें जिला या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं कर सकती थी, साथ ही उन्हें न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नामित करने की भी शक्ति नहीं थी। हरियाणा संशोधन में अनुच्छेद 233 का स्पष्ट संदर्भ है जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संवैधानिक नुस्खा है और इसलिए, इसे इसके आलोक में समझा जाना चाहिए। इस अनुच्छेद को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यह जिला न्यायाधीश के कार्यालय में नियुक्ति के लिए दो अलग-अलग स्रोत प्रदान करता है। इसका खंड (1) अधीनस्थ न्यायिक सेवा से पदोन्नति के माध्यम से ऐसी नियुक्ति का प्रावधान करता है और खंड (2) यह निर्धारित करता है कि इसे बार से सीधी भर्ती कहा जाता है। यह स्पष्ट है कि व्यक्तियों की पहली श्रेणी के संबंध में, विचार के योग्य होने के लिए, उनके पास एक अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी के रूप में पर्याप्त प्रतिष्ठा और अनुभव होना चाहिए, लेकिन

यहां तक कि सरकार को उच्च न्यायालय के साथ ऐसी नियुक्ति के संबंध में

विशेष परामर्श के बिना उन्हें जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा। हालाँकि, जहां तक सीधी नियुक्ति का संबंध है, संविधान उन व्यक्तियों के मामले में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए दो आवश्यक पूर्व-शर्तें प्रदान करने में कठोर है जो पहले से ही राज्य न्यायिक सेवा में नहीं हैं। अनुच्छेद 233 के खंड (2) में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट है और कहती है कि ऐसे व्यक्ति केवल तभी पात्र होंगे यदि वे दोहरे परीक्षण को पूरा करते हैं; पहली शर्त यह है कि बार में एक वकील या वकील के रूप में सात साल या उससे अधिक समय तक प्रैक्टिस करने की न्यूनतम आवश्यकता है। फिर भी, यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात् राज्यपाल, उपरोक्त योग्यताओं के साथ बार के किसी सदस्य को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी प्रतिष्ठित और अनुभवी क्यों न हो; और बार में उसे चाहे जो भी उच्च पद प्राप्त हो। यहां महत्वपूर्ण और वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित किया जाना चाहिए। वास्तव में यह अनुशंसा अनुच्छेद 233(2) का किंग-पिन है और इसके अलावा इसमें 'केवल' शब्द का उपयोग किया गया है, इस प्रकार किसी व्यक्ति को पद के लिए विचार करने पर भी विचार नहीं किया जाता है जब तक कि उसकी इतनी अनुशंसा न की गई हो। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 7-ए(3) के खंड (एए) के तहत (हरियाणा में संशोधित) केवल एक व्यक्ति को अनुच्छेद 233 (2) के अनुसार जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत अनुशंसित किया गया है। संविधान को किसी न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। (पैरा 10, 11, 12, 13 और 20)।

अभिनिर्णीत किया कि केवल इसलिए कि एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है, इससे वास्तविक सिद्धांत के आधार पर उनके द्वारा प्रदान किए गए अधिनिर्णय किया वास्तव में ख़राब नहीं होंगे। ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी का कार्यालय कानूनी रूप से अस्तित्व में था और भले ही उसके पदधारी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया हो, कार्यालय के रंग के तहत उसके द्वारा दिए गए अधिनिर्णय किया

निष्क्रिय नहीं किए जाएंगे- जे (पैरा 25 और 26)).

मैसर्स टाइटन इंजीनियरिंग कंपनी बनाम हरियाणा राज्य, सी.डब्ल्यू.पी. 4727 ऑफ 1982 का फैसला 29 अक्टूबर 1982 को हुआ।

इस मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 5 अक्टूबर, 1982 को माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. कांग की खंडपीठ द्वारा मामले को खंडपीठ में स्वीकार किया गया। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. सोढ़ी की खंडपीठ ने 21 जनवरी, 1983 को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए इस मामले को फिर से बड़ी पीठ के पास भेज दिया। पूर्ण पीठ में माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया, माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.सी. मित्तल और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. सोढ़ी शामिल हैं। 13 अप्रैल, 1983 को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का फैसला किया और शेष मुद्दों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए इस मामले को फिर से एकल पीठ को भेज दिया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि निम्नलिखित राहतें दी जाएं: -

(i) अधिकार पृच्छा की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए जिसमें प्रतिवादी संख्या "3 से औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में बने रहने के अपने अधिकार और उचित अवसर के बाद इस पद पर अपनी नियुक्ति के संबंध में इस माननीय न्यायालय को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। ऐसे रद्द किया जाए;

(ii) सर्टिओरारी की रिट की प्रकृति में एक रिट जारी की जाएगी जिसमें अधिनिर्णय किया अनुबंध पी.एल. से संबंधित प्रतिवादी संख्या 2 के रिकॉर्ड की मांग की जाएगी और उसके अवलोकन के बाद, विवादित अधिनिर्णय किया को रद्द कर दिया जाएगा। (नमस्ते) कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जो माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, जारी किया जाए।

(iv) इस रिट याचिका के निर्णय तक लंबित अवार्ड के संचालन पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया जाए;

(v) याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना देने से छूट दी जाए; और

(vi) याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जाए।

आर.एस.मितल, वरिष्ठ अधिवक्ता, एन.के.खोसला और हर्ष कुमार, अधिवक्ता।

संबंधित मामले में जे.के. सिब्बल और श्री आर.के. छिब्बर।

एजी हरियाणा के लिए बी.एस. गुप्ता एडवोकेट एस.के.मित्तल के साथ।

निर्णय

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7ए(3)(एए) में धारा 3 द्वारा ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता के संबंध में किए गए विधायी परिवर्तन का वास्तविक आयात औद्योगिक विवाद (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1976, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके कारण मूल रूप से तीन रिट याचिकाओं के इस सेट को डिवीजन बेंच द्वारा सुनवाई के लिए और बाद में पूर्ण बेंच के समक्ष संदर्भ के आदेश द्वारा स्वीकार करना आवश्यक हो गया था।

2. पक्षों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत हैं कि उपरोक्त मौलिक कानूनी प्रश्न तीनों मामलों में सामान्य है और इसलिए, इसका निर्धारण उन सभी को नियंत्रित करेगा। नतीजतन, 1982 के सी.डब्ल्यू.पी नंबर 4411 (तुल-पार मशीन एंड टी टूल कंपनी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) में तथ्यों के आवश्यक

मैट्रिक्स को संक्षेप में बताना पर्याप्त है। इसमें चुनौती का मूल प्रतिवादी नंबर 3, श्री एम. सी. भारद्वाज की हरियाणा में औद्योगिक न्यायाधिकरण, फ़रीदाबाद के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति है, और इसलिए, इसके बीच विवाद के गुण-दोष के बारे में चर्चा करना अनावश्यक है। याचिकाकर्ता-संस्था और उसके पूर्व कर्मचारी- श्री जोगिंदर पाल, कर्मकार-प्रतिवादी संख्या 1। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी-कर्मचारी ने एक औद्योगिक विवाद उठाया था जिसे हरियाणा राज्य द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण, हरियाणा को न्यायनिर्णयन के लिए भेजा गया था। जिनमें से माना जाता है कि पीठासीन अधिकारी प्रतिवादी संख्या 3, श्री एम. सी. भारद्वाज हैं। उत्तरार्द्ध ने 13 जनवरी, 1982 को अधिनिर्णय किया प्रदान किया, जिसके द्वारा उन्होंने माना कि श्रमिक की सेवाओं की समाप्ति न तो उचित थी और न ही उचित थी और परिणामस्वरूप वह सेवा की निरंतरता और पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली का हकदार था। रिट याचिकाकर्ता' अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अधिनिर्णय को चुनौती दी थी कि श्री एम. सी. भारद्वाज, प्रतिवादी संख्या 3, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं थे और परिणामस्वरूप, हरियाणा में लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की संशोधित धारा 7ए (3) (एए) के तहत ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य था। योग्यता के आधार पर अधिनिर्णय को चुनौती देने और अन्य राहतों की मांग करने के अलावा, प्रतिवादी नंबर 3 के खिलाफ स्पष्ट शर्तों में अधिकार वारंट की रिट की मांग की गई है, जिससे उसे औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में बने रहने से रोका जा सके और विवादित अधिनिर्णय को रद्द किया जा सके। अनुलग्नक पी /ll.

3. प्रतिवादी नंबर 4 की ओर से दायर रिटर्न में, रिट याचिका के पैरा 1 से 12 की पृष्ठभूमि विवादित नहीं है। कानूनी मुद्दे पर, रुख यह है कि प्रतिवादी नंबर 3 जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पूरी तरह से योग्य है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय की सिफारिश या परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

4. 1982 के संबंधित सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2537 (किशन सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) में, प्रतिवादी राज्य ने फिर से एक समान रुख अपनाया है। श्री एम. सी. भारद्वाज, 'प्रतिवादी संख्या 3 ने अपनी वापसी में आगे कहा है कि उन्होंने दस साल से अधिक समय तक रोहतक में एक वकील और एक वकील के रूप में अभ्यास किया है और दलील दी गई है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 (2) में निर्धारित की गई हैं और उसके अनुसार, उन्होंने औद्योगिक न्यायाधिकरण, फरीदाबाद के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं पूरी कीं।

5. अब याचिकाकर्ता की ओर से तर्क का मुख्य जोर यह है कि संशोधित प्रावधान के तहत भी, - एक औद्योगिक न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी या तो सेवानिवृत्त या निवर्तमान जिला या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश होना चाहिए, या ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इस प्रकार नियुक्ति के लिए सीधे योग्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233(2) पर भरोसा करते हुए, यह जोरदार तर्क दिया गया है कि एक व्यक्ति जो पहले से ही सेवा में नहीं है, वह जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र है, जब वह सात साल या उससे अधिक समय तक वकील या वकील रहने की दो आवश्यक शर्तों को पूरा करता हो और आगे की सिफारिश की गई हो। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय। यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में, स्वीकार किया गया है कि उच्च न्यायालय से न तो परामर्श किया गया है और न ही नियुक्ति के लिए प्रतिवादी नंबर 3 की सिफारिश की गई है, बाद वाला जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संवैधानिक रूप से अयोग्य है और इसके परिणामस्वरूप पीठासीन अधिकारी के रूप में आवश्यक परिणाम है। औद्योगिक न्यायाधिकरण.

6. यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहां विवाद आवश्यक रूप से अधिनियम की धारा 7ए(3)(एए) में प्रयुक्त भाषा के सटीक आयात पर आधारित होना चाहिए, जैसा कि हरियाणा राज्य में संशोधित और लागू है और अनुच्छेद 233(2) भारत का संविधान. हालाँकि, इन प्रावधानों को विस्तार से उद्धृत करने और विज्ञापित करने से पहले, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की बड़ी योजना न केवल

प्रासंगिक है, बल्कि मुझे समान रूप से महत्वपूर्ण और वास्तव में एक प्रमुख कारक के रूप में दिखाई देती है। जो चीज़ शायद सबसे पहले प्रमुखता से ध्यान खींचती है वह यह तथ्य है कि | औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत परिकल्पित प्राधिकारियों के पदानुक्रम में शीर्ष पर है। अध्याय II के संदर्भ से संकेत मिलता है कि क़ानून पहले अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 के तहत सुलह अधिकारी, सुलह बोर्ड और जांच न्यायालय जैसे सलाहकार या जिज्ञासु निकायों का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 10(1) के खंड (ए) और (बी) में सुलह बोर्ड और जांच न्यायालय को संदर्भ दिए जाने का प्रावधान है। इस सेट-अप में अगला है अधिनियम की धारा 7 के तहत गठित श्रम न्यायालय। यह सामान्य आधार है कि इस पदानुक्रम के शीर्ष पर अधिनियम की धारा 7-ए द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। हमारे समक्ष यह विवादित नहीं था कि अपीलीय न्यायाधिकरणों की नियुक्ति नहीं की जा रही है और अब वे लगभग अप्रचलित हो गए हैं। फिर औद्योगिक न्यायाधिकरण में जाने वाले मामलों का महत्व अधिनियम की दूसरी और तीसरी अनुसूची से स्पष्ट है। अधिनियम की धारा 10 (डी) के तहत, ट्रिब्यूनल को जिन प्राथमिक मामलों पर विचार करना है, वे तीसरी अनुसूची में शामिल प्रतीत होंगे, लेकिन सरकार के लिए यह खुला है कि वह दूसरी अनुसूची में भी उन मामलों को संदर्भित कर सकती है जो अन्यथा नहीं हैं। श्रम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से विचार किया जाना है। तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट ग्यारह वस्तुओं को व्यक्तिगत रूप से विज्ञापित करना अनावश्यक है, लेकिन उनका एक मात्र संदर्भ एक विकासशील अर्थव्यवस्था में उनके महत्व को इंगित करेगा और उसका कोई भी निर्णय कभी-कभी हजारों श्रमिकों को प्रभावित करेगा, यदि अधिक नहीं।

7. समान रूप से, एक औद्योगिक न्यायाधिकरण का महत्व और महत्व अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) से प्रकट होता है, जो औद्योगिक न्यायाधिकरण को गवाहों को बुलाने और साक्ष्य रिकॉर्ड करने की शक्ति के साथ एक सिविल न्यायालय की शक्तियों के साथ निहित करता है। अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (8) के आधार पर, औद्योगिक न्यायाधिकरण को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 480, 482 और 484 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय के रूप में भी गहरा किया जा सकता है। औद्योगिक

न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21, अधिनियम की व्यापक धारा 11(6) के अर्थ में लोक सेवक घोषित किया गया है। बिना किसी वैधानिक सीमा के लागत लगाने की विवेकाधीन शक्ति अधिनियम की धारा 11(7) द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरणों को प्रदान की जाती है। ट्रिब्यूनल द्वारा अधिनिर्णय का स्वरूप, इसका प्रकाशन और प्रारंभ, अधिनियम की धारा 16, 17 और 17-ए के अनुसार प्रदान किया गया है। सरकारी गजट में निर्धारित प्रकाशन का तरीका उनके सार्वजनिक महत्व और महत्वपूर्ण प्रकृति को बताता है। विशेष रूप से, अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि यह बाध्यकारी प्रकृति का है और पार्टियों को इसके सख्त अनुपालन के लिए बाध्य करता है। ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान भी, धारा 23 (बी) में प्रावधान है कि नियोक्ताओं या कर्मचारियों द्वारा किसी भी हड़ताल या तालाबंदी का सहारा नहीं लिया जाएगा।

8. स्पष्ट रूप से औद्योगिक न्यायाधिकरण पर निर्णय किए जाने वाले मामलों के महत्व और संस्थागत पदानुक्रम में इसके स्थान को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम ने अपने पीठासीन अधिकारी की योग्यता के निर्धारण को सरकार के विवेक पर नहीं छोड़ा है। ये, शर्तों में, क़ानून द्वारा ही निर्धारित हैं। सबसे पहले यह निर्धारित किया गया है कि ट्रिब्यूनल में केवल एक व्यक्ति शामिल होगा और इसके अलावा अधिनियम की धारा 7-ए की उप-धारा (3) के तीन खंड उन योग्यताओं को सटीकता से निर्धारित करते हैं जो अकेले किसी व्यक्ति को नियुक्ति के लिए पात्र बनाती हैं। न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी. इसका खंड (ए) इन योग्यताओं को उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में उच्चतम स्तर पर रखता है। हमारे सामने इस बात पर कोई गंभीर विवाद नहीं था कि अब तक और अब भी आम तौर पर यदि उसके अनुसार वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं होते हैं तो मैं औद्योगिक न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता करता रहा हूं। केंद्रीय क़ानून में शेष खंडों का संदर्भ फिर से औद्योगिक क्षेत्र में ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के सर्वोच्च पद को धारण करने के लिए आवश्यक पूर्व-आवश्यकता के रूप में उच्च न्यायिक और प्रशासनिक अनुभव दोनों को निर्धारित करने की संसद की मंशा के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ेगा। मैदान। इस पहलू को संक्षेप में कहें तो, यह स्पष्ट है कि औद्योगिक

न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत अधिकारियों के पदानुक्रम के न्यायिक शीर्ष पर है; न्यायनिर्णयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक मुद्दों को सौंपा गया है; इसके अधिनिर्णय को अंतिमता प्रदान की जाती है क्योंकि इसके विरुद्ध कोई वैधानिक अपील प्रदान नहीं की जाती है; और, विधायिका ने अपनी सहमति से नियुक्ति के लिए स्वयं ही एक योग्यता निर्धारित की है इसके अलावा उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के उच्चतम स्तर पर भी।

9. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, किसी को अधिनियम की धारा 7-ए के विधायी इतिहास पर भी संक्षेप में ध्यान देना चाहिए, जो 1976 के हरियाणा अधिनियम संख्या 39 द्वारा प्रासंगिक संशोधन में परिणत हुआ। यह सामान्य आधार है कि जब प्रारंभ में इसके लिए योग्यता निर्धारित की जाती है किसी ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अधिनियम के तहत न्यायिक पदानुक्रम के शीर्ष पर है, यह निर्धारित किया गया था कि कार्यालय को उच्च न्यायालय के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए।

धारा 7-ए(3) का खंड (ए)। ऐसा प्रतीत होता है कि इतने उच्च पद के व्यक्ति या तो हमेशा उपलब्ध नहीं थे या कभी-कभी इस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए, संसद ने एक विकल्प के रूप में यह जोड़कर (और प्रतिस्थापित नहीं करके) अपना दृष्टिकोण थोड़ा कम कर दिया कि नियुक्त व्यक्ति एक जिला न्यायाधीश या एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हो सकता है, जिसने कम से कम तीन साल की अवधि के लिए पद संभाला हो। यह 1964 के अधिनियम संख्या 36 द्वारा संशोधन के माध्यम से किया गया था। यह स्पष्ट होगा कि इस स्तर पर भी संसद ने अपने विवेक से यह प्रावधान नहीं किया कि एक दिन के लिए जिला न्यायाधीश के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति उच्च पद के लिए पात्र होगा। और इसलिए न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया था जिसमें आवश्यक रूप से इन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यक्तियों में से चयन करने के लिए उपयुक्त सरकार के चयनात्मक विवेक को जोड़ा जाएगा। ये प्रावधान राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय क़ानून पर मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि हरियाणा के भीतर, उपयुक्त सरकार को अभी भी श्रम

न्यायालय और न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के पद के लिए पदधारियों को खोजने में कुछ छोटी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। यह उस विधेयक के 'उद्देश्यों और कारणों' के निम्नलिखित कथन से प्रमाणित होता है जिसे अंततः औद्योगिक विवाद (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1976 के रूप में अधिनियमित किया गया था: -

"औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 और 7-ए की उपधारा (3) में निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्ति आम तौर पर श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उपरोक्त अधिनियम, जिसके परिणामस्वरूप इन श्रम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों का कामकाज प्रभावित होता है और श्रमिकों को अपने औद्योगिक विवादों को समय पर अंतिम रूप न देने के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए, राज्य सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में उपरोक्त संशोधन पेश करना उचित समझा है।

इस संशोधन के आधार पर, केंद्रीय क़ानून की धारा 7-ए(3) के खंड (एए) को प्रतिस्थापित किया गया और एक अन्य खंड (एएए) डाला गया। ये निम्नलिखित शर्तें हैं:-

7-ए (3) कोई व्यक्ति किसी न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक:

एल एफ

“(एए) वह जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य है, है या रहा है; या

(एएए) वह कम से कम दो साल की अवधि के लिए एक डिवीजन के आयुक्त या सरकार के प्रशासनिक सचिव रहे हैं।

इस स्तर पर अनुच्छेद 233 को भी उद्धृत करना उचित होगा जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संवैधानिक आदेश है: -

"233. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति :

(1) किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, और उनकी पोस्टिंग और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।

(2) कोई व्यक्ति जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, केवल तभी जिला न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा यदि वह कम से कम सात साल तक वकील या अधिवक्ता रहा हो और नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने उसकी सिफारिश की हो।"

उपरोक्त पृष्ठभूमि और केंद्रीय क़ानून के व्यापक परिप्रेक्ष्य और औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय के महत्व को देखते हुए, यहां प्रश्न का मूल यह है कि क्या हरियाणा राज्य द्वारा लाए गए उपरोक्त संशोधन का उद्देश्य वास्तव में इस उच्च पद को धारण करने के लिए योग्यता के निर्धारण के लिए सभी विधायी अनुरोधों को दूर करना है? इसे वैकल्पिक शब्दों में कहें तो क्या विधायिका हर उस व्यक्ति को, जिसके पास सात साल का अभ्यास है, सीधे नियुक्ति के लिए पात्र बनाना चाहती है, चाहे उसके पास पिछले किसी भी न्यायिक अनुभव या बार में स्थिति कुछ भी हो?

10. मैं दृढ़तापूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक में देने को इच्छुक हूं। संशोधन प्रावधान में नियोजित भाषा से यह स्पष्ट है कि विधायिका ने अभी भी न्यूनतम सीमा को बनाए रखा है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संवैधानिक रूप से उस व्यक्ति के बराबर होना चाहिए जो निर्धारित अनुसार जिला न्यायाधीश का पद संभालने का हकदार है। संविधान के अनुच्छेद 233 द्वारा. जैसा कि मैं संशोधन को उसकी वास्तविक सेटिंग में देखता हूं, इसका उद्देश्य केवल केंद्रीय अधिनियम में निर्धारित जिला या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में तीन साल के अनुभव की न्यूनतम निर्धारित अवधि को समाप्त करना था। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा विधायिका थोड़ा हटना चाहती थी और यह चाहती थी कि जो व्यक्ति एक बार जिला या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का पद संभाल चुके हों (अवधि की परवाह किए बिना) और

वह व्यक्ति जो सीधे तौर पर नियुक्ति के लिए पात्र हो। इसके चयन के क्षेत्र में भी रहें। विधायी इतिहास की पृष्ठभूमि में स्पष्ट रूप से, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एकमात्र परिवर्तन जो करने का इरादा था, वह तीन साल के अनुभव की अवधि को खत्म करना था, लेकिन जिला न्यायाधीश के कानूनी समकक्ष होने की बुनियादी आवश्यकता थी। fs को बदलने या^fThkered- के साथ नहीं मांगा गया।

11. एक व्यक्ति अब खंड (एए) के संबंधित प्रावधानों के विपरीत हरियाणा में लागू 5 संशोधित खंड (ए) की विशिष्ट भाषा का विज्ञापन कर सकता है, जो अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है और इसके लिए आवश्यक है कि पात्र व्यक्ति न केवल इसका सदस्य होना चाहिए। न्यायिक सेवा, लेकिन जिला *बीआर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में तीन साल का अनुभव भी होना चाहिए। हरियाणा विधायिका ने अनुभव की न्यूनतम अवधि की कठोर आवश्यकता को निरस्त करने के लिए निर्धारित योग्यता को कम कर दिया। इस संदर्भ में विश्लेषण करने पर, संशोधित खंड (एए) अब निम्नलिखित तीन श्रेणियों के व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से कल्पना करता है जो न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्तियों के लिए पात्र हैं:

(i) ऐसे व्यक्ति जो अतीत में जिला या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर रहे हों, भले ही वे कितनी भी अवधि के लिए पद पर रहे हों,

(ii) ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान में जिला या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर हैं, चाहे उनके पद पर रहने की अवधि कुछ भी हो; और,

प्र (iii) ऐसे व्यक्ति जो सीधे तौर पर जिला या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य हैं, भले ही वे वास्तव में उस पद पर न हों।

12. इसे दूसरे शब्दों में कहें तो, संशोधन की योजना यह है कि जिन व्यक्तियों को सीधे जिला या

सभी जिला न्यायाधीश, जो वास्तव में इस प्रकार नियुक्त हैं और जो अतीत में इस प्रकार नियुक्त किए गए थे, नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। इसलिए, संशोधित

खंड को संचयी रूप से देखते हुए सबसे निचले पायदान पर भी, ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में सीधे नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो जिला या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सीधे समान रूप से पात्र हो। इसलिए, यहां सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या राज्य सरकार किसी व्यक्ति को जिला या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकती है? यदि ऐसा हो सकता है, तो नियुक्त व्यक्ति को समान रूप से ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और इसके विपरीत, यदि राज्य सरकार उसे जिला या अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं कर सकती है, इसके पास उसे न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नामित करने की शक्ति भी नहीं थी।

13. अब हमारे सामने यह सामान्य आधार था कि हरियाणा संशोधन में अनुच्छेद 233 का स्पष्ट संदर्भ है जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संवैधानिक नुस्खा है और इसलिए, इसे इसके आलोक में समझा जाना चाहिए। इस अनुच्छेद को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यह जिला न्यायाधीश के कार्यालय में नियुक्ति के लिए दो अलग-अलग स्रोतों का प्रावधान करता है (जिसमें संविधान के अनुच्छेद 236 के आधार पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का कार्यालय भी शामिल है)। इसका खंड (1) अधीनस्थ न्यायिक सेवा से पदोन्नति के माध्यम से ऐसी नियुक्ति का प्रावधान करता है और खंड (2) यह निर्धारित करता है कि इसे बार से सीधी भर्ती कहा जाता है। यह स्पष्ट है कि व्यक्तियों की पहली श्रेणी के संबंध में, 'योग्यता पर विचार करने के लिए, उनके पास अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के रूप में पर्याप्त प्रतिष्ठा और अनुभव होना चाहिए, लेकिन यहां तक कि सरकार को उच्च न्यायालय के साथ ऐसी नियुक्ति के संबंध में विशिष्ट परामर्श के बिना उन्हें जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा। हालाँकि, जहां तक सीधी नियुक्ति का संबंध है, जिससे हम विशेष रूप से चिंतित हैं, संविधान को उन व्यक्तियों के मामले में जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए दो आवश्यक पूर्व-शर्तें प्रदान करने में कठोर होना चाहिए जो पहले से ही राज्य न्यायिक सेवा में नहीं हैं। अनुच्छेद 233 के खंड (2) में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट है और कहती है कि ऐसे व्यक्ति केवल तभी पात्र होंगे यदि वे दोहरे परीक्षण को पूरा करते हैं; पहली शर्त

यह है कि बार में एक वकील या वकील के रूप में सात साल या उससे अधिक समय तक प्रैक्टिस करने की न्यूनतम आवश्यकता है। फिर भी, यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हमारे सामने यह सामान्य आधार था कि नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात्। राज्यपाल अपनी मर्जी से बार के किसी सदस्य को, चाहे वह कितना भी प्रतिष्ठित और अनुभवी क्यों न हो, जिला न्यायाधीश के रूप में उपरोक्त योग्यताओं के साथ नियुक्त नहीं कर सकता; और बार में उसका चाहे जो भी उच्च पद हो। यहां संकेत और वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण पूर्व-आवश्यकता यह है कि किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित किया जाना चाहिए। वास्तव में यह सिफ़ारिश है. का जी-पिन अनुच्छेद 233(2) और इसके अलावा यह 'केवल' शब्द का उपयोग करता है, इस प्रकार किसी पद के लिए किसी व्यक्ति के विचार को भी बाहर कर देता है जब तक कि उसकी सिफारिश न की गई हो। गौरतलब है कि, नोटिस की बात यह है कि इस अनुच्छेद में पूर्ववर्ती खंड की तरह केवल परामर्श (जो हमेशा बाध्यकारी नहीं है) निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि उच्च न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट सिफारिश की गई है। यह स्पष्ट है कि यदि उच्च न्यायालय अनुशंसा नहीं करता है, तो राज्यपाल के पास किसी वकील को सीधे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की कोई शक्ति नहीं है।

14. अनुच्छेद 233 की पूर्वोक्त रचना, जिसे मैं लेना चाहता हूं, बाध्यकारी मिसाल द्वारा अनारक्षित रूप से समर्थित प्रतीत होती है। ए पांडुरंगम राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, [1]में, यह माना गया था कि जिन उम्मीदवारों ने जिला न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन किया था और उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत साक्षात्कार लिया गया था, उन्हें भी इसके दायरे में नहीं माना जा सकता है। अनुच्छेद 233(2) का दायरा तब तक है जब तक कि बाद में विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से उन्हें नियुक्ति के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है। इसे निम्नानुसार स्पष्ट रूप से अभिनिर्णीत किया गया: -

"बार से सीधी भर्ती के लिए एक उम्मीदवार उच्च न्यायालय की सिफारिश के बिना नियुक्ति के लिए पात्र नहीं बनता है। वह अनुच्छेद 233 के खंड (2)

[1] 1975 S.C. 1922

के तहत ऐसी सिफारिश पर ही पात्र हो जाता है। उच्च न्यायालय ने अपील के तहत फैसले में "अनुशंसित" शब्द के अर्थ को समझने में कुछ कठिनाई महसूस की। लेकिन संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिया गया शाब्दिक अर्थ काफी सरल और सटीक है, इसका अर्थ है "रोज़गार के लिए उपयुक्त सुझाव दें"। बार से नियुक्ति के मामले में नियुक्ति के लिए किसी उम्मीदवार को चुनना सरकार के लिए तब तक खुला नहीं है जब तक कि उसके नाम की सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जाती है।"

उपरोक्त टिप्पणी को बाद में मणि सुब्रत जैन आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य[2] में दोहराया गया है।

"पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में इस न्यायालय ने माना है कि सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए किसी उम्मीदवार को चुनना सरकार के लिए तब तक खुला नहीं है जब तक कि उसके नाम की सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जाती है।"

उपरोक्त प्रामाणिक कथन के मद्देनजर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री बी.एस. गुप्ता ने निष्पक्षता और स्पष्टता से स्वीकार किया था कि जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश अनिवार्य शर्त थी। अब एक बार ऐसा है, तो यह विवाद में नहीं है कि जिला न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी राज्य का राज्यपाल है और ऐसी नियुक्तियाँ अनुच्छेद 233 में संवैधानिक नुस्खे के अनुसार सख्ती से की जानी चाहिए। क्या कोई व्यक्ति जिसके पास सात से अधिक हैं क्या वर्षों तक वकील के रूप में काम करने पर राज्यपाल द्वारा सीधे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? प्रश्न का उत्तर स्पष्टतः नकारात्मक है। नतीजतन, इसका मतलब यह होगा कि ऐसा व्यक्ति जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कानूनी रूप से योग्य नहीं है जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट शब्दों में सिफारिश की अधिरोपित शर्त पूरी नहीं हो जाती। एक फोर्टियोरी, इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति, कानूनी आवश्यकता के कारण, सीधे किसी

[2] A.I.R. 1977 S.C. 276.

पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो वह इस तरह की नियुक्ति के लिए कानूनी रूप से योग्य नहीं है। संवैधानिक जनादेश जिला न्यायाधीश के पद की पात्रता के लिए दो अनम्य अनिवार्यताओं को समाप्त करता है, अर्थात्, बार में सात साल का कार्यकाल और नियुक्ति के लिए उपयुक्तता के संबंध में उच्च न्यायालय की एक विशिष्ट सिफारिश। केवल दो शर्तों में से एक को पूरा करने से कोई व्यक्ति पात्र नहीं हो जाता। तर्क को उसके तार्किक चरम तक ले जाने के लिए, कोई कुछ हद तक असामान्य उदाहरण ले सकता है जहां 'उच्च न्यायालय ने नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति की सिफारिश करने का विकल्प चुना, लेकिन वह बार में सात साल तक खड़े रहने की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। यह स्वयंसिद्ध है कि ऐसा व्यक्ति अनुच्छेद 233 के तहत अयोग्य होगा, और कानूनी स्थिति वही होगी जहां उसके पास उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की अन्य अनिवार्यता का अभाव है। अब एक बार जब अनुच्छेद 233 आकर्षित हो जाता है, जैसा कि माना जाता है - इसे अपनी पूरी ताकत के साथ समग्र रूप से लागू करना चाहिए। किसी भी तर्क के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सात साल की शर्त लागू होगी लेकिन उच्च न्यायालय की सिफारिश लागू नहीं होगी या इसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है।

15. वास्तव में, इस मामले को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। यदि हरियाणा विधानमंडल का इरादा सात साल के प्रत्येक वकील को ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य या कानूनी रूप से योग्य बनाना है। , इसने स्पष्ट रूप से इस आशय के लिए स्पष्ट और स्पष्ट भाषा का सहारा लिया होगा। वास्तव में, यदि यह इरादा खंड (एए) था तो इसे निम्नानुसार तैयार किया जा सकता था: -

"उसने कम से कम सात साल तक एक वकील के रूप में अभ्यास किया है, या जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश है, या रहा है"।

दरअसल, यह शब्दावली बॉम्बे विधानमंडल द्वारा स्पष्ट रूप से उपयोग की गई थी जब उसने अधिनियम में एक समान संशोधन किया था, - महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 47, 1977 के तहत। यह स्पष्ट है कि यदि विधायिका स्पष्ट रूप से बार में खड़े होने के कुछ वर्षों के अलावा कुछ भी नहीं चाहती थी (उसकी स्थिति

या पिछले न्यायिक अनुभव का विवरण), तो यह स्पष्ट भाषा में कहा गया होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुच्छेद 233 के संदर्भ में इतनी सरल भाषा में कुछ डालने का न तो कोई कारण है और न ही उद्देश्य और फिर उसमें से उच्च न्यायालय की सिफारिश की महत्वपूर्ण अनिवार्यता को कम करने का प्रयास करना। यह निर्माण का एक अच्छा नियम है कि किसी प्रावधान को सबसे पहले उसका स्पष्ट शाब्दिक अर्थ दिया जाना चाहिए और समान रूप से इसका उलटा भी है कि जब भी विधायिका अपना इरादा व्यक्त करना चाहती है, तो वह उलझी हुई और कपटपूर्ण भाषा के बजाय उसे स्पष्ट व्याकरणिक भाषा में प्रस्तुत करेगी। किसी अन्य प्रावधान का संदर्भ. जैसा कि व्यापक विचार-विमर्श में पहले ही देखा जा चुका है, हरियाणा विधानमंडल के कट्टरपंथी इरादे को एक तरफ उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की निर्धारित योग्यता को बनाए रखना और दूसरी तरफ सात साल के प्रत्येक वकील को खड़ा करना (बिना किसी परवाह के) करना आसान नहीं है। न्यायिक अनुभव और बार में स्थिति का व्यक्ति) ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए समान रूप से योग्य है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अधिनियम के तहत औद्योगिक न्यायपालिका के रूप में कहा जा सकता है। वास्तव में, अधिनियम की धारा 7-ए की उपधारा (3) पर एक व्यापक नज़र डालने से पता चलता है कि एक बड़ा न्यायिक या प्रशासनिक अनुभव वह सुनहरा धागा है जो उसमें योग्यता के नुस्खे के जाल के माध्यम से चलता है। यहां तक कि हरियाणा संशोधन के साथ-साथ जोड़े गए खंड (एएए) में अतिरिक्त रूप से यह निर्धारित किया गया है कि एक डिवीजन का आयुक्त या सरकार का कम से कम दो साल का प्रशासनिक सचिव भी पात्र होगा। हमारे सामने वस्तुतः यह स्वीकार किया गया था कि व्यावहारिक रूप से इसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के सर्वोच्च प्रशासनिक कैडर से या हरियाणा सिविल सेवा से पदोन्नति के माध्यम से लगभग बीस वर्षों के सेवा अनुभव की आवश्यकता होगी।

16. स्पष्ट रूप से दीवार पर धकेल दिया गया, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील श्री गुप्ता ने बीच में एक अति तकनीकी अंतर का प्रयोग करने का प्रयास किया वाक्यांश "हरियाणा संशोधन में नियोजित के रूप में योग्य और "नियुक्त होने के योग्य" जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 233(2) में उपयोग किया गया

है। हालाँकि, इस कमजोर रुख का समर्थन करने के लिए न तो सिद्धांत और न ही अधिकार का हवाला दिया जा सकता है। कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम खंड 20 पृष्ठ 401 में, अन्य बातों के साथ-साथ 'पात्र' शब्द के अर्थ इस प्रकार हैं: -

"चुने जाने या चुने जाने के योग्य; निर्वाचित होने और पद धारण करने के लिए कानूनी रूप से योग्य; चुनाव या नियुक्ति के लिए कानूनी रूप से योग्य; पद धारण करने की क्षमता या योग्यता; पद धारण करने के लिए कानूनी रूप से योग्य; और चुनाव के बाद, यानी कार्यालय की अवधि की शुरुआत में, पद संभालने के लिए कानूनी रूप से योग्य है।"

चेम्बर्स ट्वेंटिएथ सेंचुरी डिक्शनरी में "योग्य" शब्द का अर्थ है-

"चुनाव या नियुक्ति के लिए कानूनी रूप से योग्य; चुने जाने के योग्य या योग्य।"

मित्रा के कानूनी और वाणिज्यिक शब्दकोश में, 'पात्र' शब्द को अधिक स्पष्ट रूप से निम्नानुसार उद्धृत किया गया है: -

"पात्र" शब्द का अर्थ केवल कानूनी रूप से योग्य होना चाहिए और इसका अर्थ केवल कानूनी रूप से योग्य हो सकता है।

उपरोक्त से, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके सामान्य शब्दकोश अर्थ और इसके कानूनी अर्थ दोनों में, 'योग्य' शब्द को नियुक्ति के लिए कानूनी रूप से योग्य होने के साथ उद्धृत किया गया है। हालाँकि, इससे भी अधिक सच यह तथ्य है कि शब्द या वाक्यांश उस संदर्भ से अपना रंग ले सकता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। मैंने पहले ही हरियाणा संशोधन की पृष्ठभूमि, इसके विधायी इतिहास और इसके बड़े उद्देश्य पर प्रकाश डाला है। इस मोज़ेक में, जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य बड़ा वाक्यांश विशेष रूप से इंगित करेगा कि व्यक्ति को इस तरह की नियुक्ति के लिए अधिक हकदार नहीं होना चाहिए। इसी तरह के संदर्भ में, एक वैधानिक नियम की व्याख्या करते हुए, लॉर्ड एवरशेड ने फैरामस बनाम फिल्म आर्टिस्ट्स एसोसिएशन, [3](हाउस

[3] 1964 (1) All England Reports 25

ऑफ लॉर्ड्स) में इस प्रकार अभिनिर्णीत किया: -

"जैसा कि मैंने कहा है, हालांकि, वर्तमान नियम में वाक्यांश के संदर्भ में मैं अपनी ओर से कोई संदेह नहीं कर सकता, लेकिन अंग्रेजी के मामले में, "योग्य" शब्द का अर्थ केवल "कानूनी रूप से योग्य" होना चाहिए और इसका मतलब केवल "कानूनी रूप से योग्य" हो सकता है।

17. इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शब्द "नियुक्ति के योग्य" और "नियुक्ति के लिए योग्य" पर्यायवाची और विनिमेय शब्द हैं और उनके बीच अंतर की कोई अंतिम रेखा खींचने का प्रयास, मेरे विचार से, इससे अधिक कुछ नहीं होगा जिसे कई बार मनोरंजक ढंग से कानूनी बाल विभाजन कहा जाता है। विशिष्ट संदर्भ में, यह तब और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब संविधान के अनुच्छेद 233 में "नियुक्ति के लिए पात्र" के स्थान पर "नियुक्ति के लिए योग्य" शब्दों को आपस में बदल दिया जाता है या उनके साथ जोड़ दिया जाता है। यह स्पष्ट है कि इससे उसके अर्थ में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए, इस संबंध में श्री गुप्ता का कमजोर समर्पण अस्वीकृति के अलावा कुछ भी योग्य नहीं है;

18. उपरोक्त आधार पर श्री गुप्ता ने तब खंड (3) के अनुरूप उल्लेख किया था। संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के खंड (2) में उन शर्तों को नकारात्मक रूप से निर्धारित किया गया है जो किसी व्यक्ति को क्रमशः उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं बनाएगी। अनुच्छेद 233(2) में प्रयुक्त प्रावधानों की तुलना में इन दो प्रावधानों की भाषा का एक मात्र संदर्भ यह दर्शाता है कि सादृश्य संभवतः तार्किक रूप से टिक नहीं सकता है। ये प्रावधान व्यापक और भौतिक रूप से भिन्न भाषा में दिए गए हैं। जबकि अनुच्छेद 233(2) जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पात्रता के लिए दो पूर्व शर्तों को सकारात्मक रूप से निर्धारित करता है, न तो अनुच्छेद 124 और न ही अनुच्छेद 217 दूर-दूर तक ऐसा कुछ करने का प्रयास करते हैं और जैसा कि पहले ही देखा गया है, वे केवल तब नकारात्मक रूप से लेट जाते हैं जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है। उक्त कार्यालयों में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। उक्त अनुच्छेद में "अनुशंसित" शब्द का

उपयोग तक नहीं किया गया है, ऐसी अनुशंसा को आवश्यक पूर्व-आवश्यकता बनाना तो दूर की बात है। यदि अनुच्छेद 233 को अनुच्छेद 124 और 217 के समान शर्तों में शामिल किया गया था या इसमें केवल इतना कहा गया था कि बार में सात साल तक काम करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से योग्य होगा या जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, तो इसमें कोई और बाधा नहीं होगी। प्रतिवादी का तरीका. हालाँकि, अनुच्छेद 233 पूरी तरह से अलग शब्दावली में लिखा गया है और अनिवार्य रूप से सामान्य योग्यता में विशिष्ट शर्त जोड़ता है, अर्थात्, ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया जाना चाहिए और केवल तभी वह नियुक्त होने के लिए पात्र होगा।एक ओर अनुच्छेद 124 और 217 में और दूसरी ओर अनुच्छेद 233 में जानबूझकर नियोजित भाषा में पेटेंट अंतर, पूर्व के आधार पर एक तर्क को बाद के संदर्भ में पूरी तरह से अप्रासंगिक बनाता है। उत्तरदाताओं की ओर से उठाए जा रहे इसी तरह के तर्क को रामेश्वर दयाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य[4] में उनके आधिपत्य द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था, निम्नलिखित शब्दों में: -

"अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की योग्यता से संबंधित संविधान की धारा 124 के खंड (3) के स्पष्टीकरण 1 की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं से संबंधित अनुच्छेद 217 के खंड (2) की व्याख्या, और प्रस्तुत किया है कि जहां संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक समझा कि उन्होंने विशेष रूप से उच्च न्यायालय में अवधि की गणना के लिए प्रावधान किया, जो पहले भारत में था, अनुच्छेद 124 और 217 अलग-अलग शब्दों में हैं और नागरिकता की एक अतिरिक्त योग्यता का उल्लेख करते हैं जो कि अनुच्छेद 233 की आवश्यकता नहीं है, औ हमें नहीं लगता कि कला 233 के खंड (2) की व्याख्या कला 124 और 217 में जोड़े गए स्पष्टीकरणों के आलोक में की जा सकती है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में एक स्व-निहित प्रावधान है।

[4] A.I.R. 1961 S.C. 816.

19. अनिवार्य रूप से, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील 1982 के सी.डब्ल्यू.पी 4727 में मेसर्स टाइटन इंजीनियरिंग कंपनी बनाम हरियाणा राज्य में संक्षिप्त टिप्पणियों पर वापस आ गए, जिसका फैसला 29 अक्टूबर, 1982 को एक रिट याचिका को खारिज करते समय प्रस्ताव चरण में किया गया था। पारित किए गए संक्षिप्त आदेश के संदर्भ से, यह स्पष्ट होता है कि वकील इस मामले को सिद्धांत या मिसाल के आधार पर प्रचारित नहीं करने में कुछ हद तक लापरवाह थे और जो कि इसके विधायी इतिहास और इसके बड़े उद्देश्य के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 233, जो इस मामले की आधारशिला है, का बिल्कुल भी विज्ञापन नहीं किया गया था। एक कहावत के रूप में, यह देखा गया कि दस साल का एक वकील जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है और यह उच्च न्यायालय की एक स्पष्ट सिफारिश के संबंध में उक्त अनुच्छेद की दूसरी पूर्व-आवश्यकता को पूरी तरह से नजरअंदाज करता प्रतीत होता है। ए पांडुरंगम राव के मामले (सुप्रा) में उनके आधिपत्य की टिप्पणियों को बेंच के ध्यान में नहीं लाया गया था और पहले पैरा नंबर 14 में उद्धृत अंश मेसर्स टाइटन इंजीनियरिंग मामले में जो प्रेक्षित किया है उसके सीधे विपरीत होगा। (सुप्रा)। उसके बाद यह देखा गया कि बार एसोसिएशन के सभी दो सौ वकील, जिनके पास दस साल से अधिक का अनुभव है, जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जो ए. पांडुरंगम राव के मामले (सुप्रा) में स्पष्ट निष्कर्ष के विपरीत होगा। , जिसमें, यह माना गया कि जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से साक्षात्कार किए गए सभी 355 उम्मीदवार तब भी अयोग्य होंगे, जब तक कि उनमें से किसी को भी ऐसी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अनुशंसित नहीं किया गया हो। अनुच्छेद 233 के स्व-निहित प्रावधान होने के विशेष संदर्भ में रामेश्वर दयाल का मामला (सुप्रा) डिवीजन बेंच के ध्यान में नहीं लाया गया था। पहले की विस्तृत चर्चा के आलोक में, मुझे अत्यंत सम्मान के साथ यह प्रतीत होता है कि मेसर्स टाइटन इंजीनियरिंग कंपनी मामले (सुप्रा) में प्रस्ताव आदेश कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है और इसके द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है।

20. को. अंत में मुख्य मुद्दे पर निष्कर्ष निकालते हुए, यह माना जाता है

कि अधिनियम की धारा 7 ए (3) के खंड (एए) के तहत, (हरियाणा में संशोधित) केवल एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत अनुशंसित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत किसी न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

21. प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील श्री बी.एस. गुप्ता के प्रति निष्पक्षता में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शायद योग्यता के आधार पर अपने मामले की कमजोरी के बारे में जागरूकता में, उन्होंने प्रारंभिक आपत्ति के माध्यम से मूल मुद्दे से बचने का प्रयास किया था। यह तर्क दिया गया था कि चूंकि ट्रिब्यूनल का अधिनिर्णय सुप्रसिद्ध वास्तविक सिद्धांत पर टिकाऊ हो सकता है, इसलिए, इसके पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की वैधता के लिए किसी भी चुनौती को संपार्श्विक के रूप में लेबल किया जाना चाहिए और इसलिए, यह सुनवाई योग्य नहीं है। गोकाराजू बंगाराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य[5] में टिप्पणियों को देखते हुए, श्री गुप्ता ने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ताओं की ओर से मांगी गई अधिकार वारंट की रिट इस स्कोर पर उन्हें अस्वीकार कर दी जानी चाहिए।

22. उपरोक्त रुख पर केवल ध्यान दिया जाना चाहिए और उसे खारिज किया जाना चाहिए। 1982 के सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 4411 में तुल पार मशीन एंड टूल कंपनी बनाम श्री जोगिंदर पाल और अन्य) में प्रतिवादी नंबर 3, श्री एम. सी. भारद्वाज, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक के खिलाफ अधिकार वारंट की रिट देने के लिए एक स्पष्ट प्रार्थना है। ट्रिब्यूनल, हरियाणा में फ़रीदाबाद, 1982 का सी.डब्ल्यू.पी नंबर 2537 किशन सिंह बनाम हरियाणा राज्य आदि), पैरा संख्या 9(i) में प्रतिवादी संख्या 3, श्री एम. सी. भारद्वाज की नियुक्ति पर इस आधार पर हमला करता है कि धारा के प्रावधानों के मद्देनजर उन्हें ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के 3. 1982 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4138 (मैसर्स रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया बनाम पारस सिंह आदि) में, फिर से श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रतिवादी संख्या 6 श्री एच.एस. कौशिक के खिलाफ स्पष्ट रूप से

[5] A.I.R. 1981 S.C. 1473.

अधिकार वारंट की रिट मांगी गई है। , फ़रीदाबाद। जब किसी राहत का दावा यथास्थिति वारंटो की रिट जारी करने के लिए किया जाता है या सीधे और स्पष्ट रूप से दलीलों से उत्पन्न होता है, तो संभवतः यह नहीं कहा जा सकता है कि ट्रिब्यूनल या श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर हमला हुआ है। किसी भी तरह से एक संपार्श्विक। दरअसल, यह अधिनिर्णय के स्रोत पर सीधा और सीधा हमला है। केवल, क्योंकि इस आधार पर अधिनिर्णय की वैधता को भी चुनौती दी गई है, याचिकाकर्ताओं को अधिकार वारंट के दावे से वंचित नहीं किया जाएगा। यद्यपि यह स्पष्ट सिद्धांत पर ऐसा प्रतीत होता है, यह हरियाणा राज्य बनाम हरियाणा सहकारी परिवहन लिमिटेड और अन्य[6] में निम्नलिखित टिप्पणियों द्वारा निर्णायक रूप से स्थापित किया गया है।

"केवल यह परिस्थिति कि प्रथम प्रतिवादी ने इतने शब्दों में अधिकार वारंट की रिट नहीं मांगी, इस तर्क को उचित नहीं ठहरा सकती कि नियुक्ति को अधिनिर्णय को चुनौती देने के लिए की गई कार्यवाही में संपार्श्विक रूप से चुनौती दी जा रही थी। रिट याचिका में दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिनिर्णय पर मुख्य और वास्तविक हमला श्रम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहने के लिए श्री गुप्ता की अयोग्यता थी, जिनके कार्यों के निर्वहन में यह अधिनिर्णय प्रदान किया गया था। उसके द्वारा। रिट याचिका द्वारा मांगी गई सर्टिओरारी की राहत निश्चित रूप से अनुचित थी, लेकिन पैराग्राफ 16 के खंड (सी) द्वारा, उच्च न्यायालय को ऐसे अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए आमंत्रित किया गया था जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे। . किसी फ़ॉर्मूले के उपयोग में कोई जादू नहीं है. श्री गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए आवश्यक तथ्य रिट याचिका में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं और उनकी नियुक्ति को चुनौती इस आधार पर स्पष्ट रूप से दी गई है कि वह श्रम न्यायालय के न्यायाधीश का पद संभालने के लिए योग्य नहीं थे।

और फिर:

[6] A.I.R. 1977 S.C. 237

..तदनुसार, उच्च न्यायालयों के लिए यह खुला है कि वे अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति की बोर्ड या न्यायालय के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में या श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की वैधता पर विचार करें। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण. यदि उच्च न्यायालय को पता चलता है कि इनमें से किसी भी कार्यालय में नियुक्त व्यक्ति उस पद को धारण करने के लिए पात्र या योग्य नहीं है, तो यथास्थिति वारंट या कोई अन्य उचित रिट या निर्देश जारी करके नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। कार्यालय पर कब्ज़ा करने के लिए प्रहार करना अनुच्छेद 226 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग में उच्च न्यायालयों का कार्य और कर्तव्य है

227।"

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यथास्थिति वारंट के अनुदान के खिलाफ प्रारंभिक आपत्ति को आवश्यक रूप से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

23. एक बार जब उपरोक्त बाधा दूर हो जाती है, तो मेसर्स तुल पार मशीन एंड टूल कंपनी में रिट याचिकाकर्ता; और, किशन सिंह मामले (सुप्रा) एक मजबूत हकदार हैं और इसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3-श्री एम. सी. भारद्वाज के खिलाफ (पैरा-20 में मेरे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए) अधिकार वारंट की रिट दी जाती है। यह सर्वमान्य आधार है कि किसी भी स्तर पर नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उनकी सिफारिश नहीं की गई थी और परिणामस्वरूप वह हरियाणा में लागू अधिनियम की धारा 7ए(3)(एए) के तहत ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होंगे। अत: उनकी नियुक्ति आवश्यक रूप से रद्द की जानी चाहिए।

24. पक्षों के विद्वान वकील सही रूप से सहमत थे कि कानूनी स्थिति 1982 के सी.डब्ल्यू.पी नंबर 4138, मेसर्स रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया बनाम पारस सिंह आदि में समान है। इस मामले में, चुनौती पदधारी की नियुक्ति को है श्रम न्यायालय, फ़रीदाबाद के पीठासीन अधिकारी। यह सामान्य आधार है कि 1976 के हरियाणा अधिनियम संख्या 39 द्वारा, श्रम न्यायालय के पीठासीन

अधिकारियों के लिए योग्यता निर्धारित करने के संबंध में अधिनियम की धारा 7 में भी एक समान संशोधन पेश किया गया था। इसलिए, ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में इस निर्णय में दिए गए अनुपात और टिप्पणियाँ, मेसर्स में यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होती हैं। भारत के मामले के रेमिंगटन रैंड (सुप्रा) के साथ-साथ प्रतिवादी नंबर 6-श्री एच.एस. कौशिक के खिलाफ अधिकार वारंट की रिट देने के लिए। यह सामान्य आधार है कि प्रतिवादी संख्या 6, श्री एच.एस. कौशिक को उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कभी भी अनुशंसित नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप वह नियुक्ति के लिए अयोग्य होंगे। अत: उनकी नियुक्ति भी आवश्यक रूप से रद्द की जानी चाहिए।

25. हालाँकि, श्री बी.एस. गुप्ता के रुख में दम है कि केवल इसलिए कि ट्रिब्यूनल या श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई हैं, यह वास्तविक सिद्धांत के आधार पर उनके द्वारा प्रदान किए गए अधिनिर्णय को वास्तव में ख़राब नहीं किया जाएगा।यह सही तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालय दोनों के पीठासीन अधिकारियों के कार्यालय वैध रूप से मौजूद थे और भले ही पदधारियों की नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई हों, उनके द्वारा पद के तहत दिए गए अधिनिर्णय निष्क्रिय नहीं किए जाएंगे।

26. सिद्धांत पर उपरोक्त विवाद की जांच करना अनावश्यक लगता है क्योंकि यह गोकराजू रंगाराजू के मामले (सुप्रा) में बाध्यकारी मिसाल द्वारा कवर किया गया प्रतीत होता है। इसमें सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति को संविधान के अनुच्छेद 233 के उल्लंघन के आधार पर पहले ही अवैध घोषित कर दिया गया था। बाद में, सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णयों पर इस आधार पर आलोचना की गई कि वे निष्प्रभावी हो गए क्योंकि उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया था। इस तरह की चुनौती को खारिज करते हुए, चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. ने बेंच के लिए बोलते हुए इस प्रकार प्रेक्षित किया: -

"इसलिए, वास्तव में, एक न्यायाधीश वह है जो केवल घुसपैठिया या हड़पने वाला नहीं है, बल्कि वह है जो वैध अधिकार के तहत पद धारण करता है, हालांकि उसकी नियुक्ति दोषपूर्ण है और बाद में दोषपूर्ण पाई जा सकती है।

कार्यालय में उसकी पदवी में चाहे जो भी दोष हो, उसके द्वारा दिए गए निर्णय और उसके द्वारा किए गए कार्य, जब वह कार्यालय की शक्तियों और कार्यों से सुसज्जित था, भले ही गैरकानूनी हो, उसकी दक्षता उतनी ही होती है जितनी कि किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए निर्णय और किए गए कार्य। कानूनी तौर पर न्यायाधीश. यह वास्तविक सिद्धांत है, जो अनावश्यक भ्रम और अंतहीन शरारतों को रोकने की आवश्यकता और सार्वजनिक नीति से पैदा हुआ है। "

और फिर:

"हम उन न्यायाधीशों के पद को लेकर चिंतित हैं जिन पर मैं कार्यरत था। हम नहीं कर रहे हैं; से संबंधित है| कार्यालय के विशेष पदधारी5। जब तक एस द जे द्वितीय कार्यालय वैध रूप से सृजित किया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पदधारी को वैध रूप से नियुक्त नहीं किया गया था। सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति, सत्र न्यायालय में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा और उसके निर्णय और आदेश सत्र न्यायालय के होंगे। वे सत्र न्यायालय के निर्णयों और आदेशों के रूप में मान्य बने रहेंगे, भले ही ऐसे न्यायालय में उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित किया जा सके। केवल उस आधार पर, यह कभी नहीं कहा जा सकता कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। "

27. उपरोक्त के बाद, यह आवश्यक रूप से माना जाना चाहिए कि उत्तरदाताओं एस/श्री एम.सी. भारद्वाज और एच.एस. कौशिक द्वारा प्रदान किए गए अधिनिर्णय आवश्यक रूप से केवल इस आधार पर रद्द नहीं किए गए हैं कि उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है।

28. हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील अपने रुख पर दृढ़ता से कायम थे कि वे विभिन्न प्रकार के आधारों पर योग्यता के आधार पर संबंधित पुरस्कारों पर हमला करना चाहते हैं और रिट याचिकाओं में अलग से राहत की मांग करना चाहते हैं। इसमें योग्यता के मुद्दे स्पष्ट रूप से इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि इस पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय की आवश्यकता हो। मैं तदनुसार निर्देश देता हूं कि इन मामलों को अब शेष मुद्दों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय

के लिए एकल पीठ के समक्ष रखा जाए।

एस. सी. मितल, जे, - मैं सहमत हूं।

एस.एस. सोढ़ी, जे, - मैं भी सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:
Deepak yadav
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy
Chandigarh